>

Title: Increasing incidents of road accidents on National Highway-2 in Varanasi and Chandauli districts of Uttar Pradesh.

श्री रामकिशुन (चन्दौली): माननीय सभापति जी, हमारे देश के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों सहित, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 पर लगातार आर.टी.ओ. और पुलिस की अवैध वसूली के चलते एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के आश्रित व्यक्ति, श्री अवधेश कुमार की, पिछले सप्ताह ट्रक से कुचल जाने के कारण अपने दो साथियों सहित मौत हो गई। राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगातार आर.टी.ओ. और तेज स्पीड की गाड़ियां आने और क्रॉसिंग्स के न होने के कारण ट्रकों से दबकर, कुचलकर काफी हत्याएं होती हैं और उनमें आम आदमी मर रहा है।

मोहनसराय से लेकर पचफरमा के बीच मे, दोनों जनपदों के आर.टी.ओ. और पुलिस द्वारा अवैध वसूली के कारण वहां इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। उन्हें देखकर ट्रक वाले भागते हैं और इस भागदौड़ में जो भी राहगीर, जो भी गरीब व्यक्ति आता है उसकी मौत हो जाती है। अब तक इस तरह की कई दर्जन घटनाएं हो चुकी हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्गों से आप टोलटैक्स लेते हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए आप हमारी जमीनें लेते हैं, आसपास का किसान, गरीब और मजदूर शहर में नौकरी और अपने काम-धंधे के लिए जाता है और उन सड़कों से गुजरता है और उनकी एक प्रकार से उन्हीं सड़कों पर ट्रकों और गाड़ियों की भागदौड़ में मौत हो जाती है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की सड़क सुरक्षा के तहत हमें उनका जीवनबीमा करना चाहिए। जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित परिवार की मृत्यु हो गई, उसके साथ उसके दो और साथी भी मारे गए। ऐसे लोगों के लिए एक जीवनबीमा योजना चलानी चाहिए, ताकि जिन लोगों ऐसी दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है, उन्हें कुछ सहायता मिल सके। मैं मांग करता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऐसी घटनाएं होने पर, मारे गए लोगों की सहायता के लिए बीमा योजना चलाई जाए और उसका खर्च सरकार वहन करे और उन्हें सहायता प्रदान करे, क्योंकि जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, वे भारत सरकार से संबंधित हैं। आम जनता के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अधिनियम के तहत बीमा योजना चलाई जाए, जिसकी प्रीमियम का भुगतान सरकार करे। इसमें जो भी दोषी लोग हैं, उन्हें सजा दी जाए। आर.टी.ओ. और पुलिस के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज है। उसकी भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यही मांग करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।